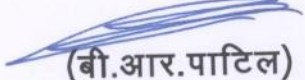


न्यायालय:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर
(म.प्र.)

---सूचना पत्र---

इस सूचना पत्र के माध्यम से समस्त संबंधित पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि कोरोना वाईरस के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देश NO. Q-5 Jabalpur Dated 25.03.2020 के परिपालन में इस न्यायालय में पूर्व से दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक नियत समस्त प्रकार के लंबित सिविल एवं आपराधिक प्रकरण उसी प्रक्रम पर कॉलम नंबर 3 में अंकित नियत तिथि पर सुनवाई हेतु लिये जावेंगे।

क्रमांक	पूर्व से नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1	01.04.2020	04.05.2020
2	03.04.2020	05.05.2020
3	07.04.2020	06.05.2020
4	08.04.2020	08.05.2020
5	09.04.2020	11.05.2020


(बी.आर.पाटिल)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर

न्यायालय :- श्रीमती आरती शर्मा अनन्यतः विशेष न्यायाधीश
पाक्सो अधिनियम पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर

क्रमांक...../आप.

मण्डलेश्वर, दिनांक 01.04.2020

कोरोना वायरस(कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क्रमांक क्यु जबलपुर दिनांक 25.03.2020 के पालन में तथा भारत सरकार द्वारा आकडाउन की अवधि दिनांक 14.04.2020 तक बढ़ाई जाने से समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशानुसार **समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये है।**

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं स्थगन से संबंधित अति आवश्यक कार्य ही किया जावेगा। शेष कार्यवाहियों जिनमें अन्तिम तर्क भी सम्मिलित है दिनांक 14.04.2020 तक स्थगित रहेंगे।

तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाए गए नियत दिनांको में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

सिविल एवं आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियां।

क्र.	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1	03.04.2020	05.05.2020
2	04.04.2020	05.05.2020
3	07.04.2020	06.05.2020
4	08.04.2020	08.05.2020
5	09.04.2020	11.05.2020
6	11.04.2020	12.05.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल पर तथा दूसरी जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जाये।

आज्ञा से

[श्रीमती आरती शर्मा]
अनन्यतः विशेष न्यायाधीश
लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण
अधिनियम (पाक्सो अधिनियम) मण्डलेश्वर

सूचना

**न्यायालय:-प्रवीण हजारे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
प0नि0 मण्डलेश्वर(म.प्र.)**

क. 205/2020

मण्डलेश्वर, दिनांक 01-04-2020

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क. व्यू, जबलपुर दिनांक 25.03.2020 के पालन में तथा भारत सरकार द्वारा लाकडाउन की अवधि दिनांक 14.04.2020 तक बढ़ायी जाने से समय-समय पर जारी किए गये निर्देशानुसार **समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं तथा उक्त दिनाकों में नियत समस्त प्रकरणों में आगामी तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।**

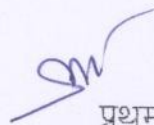
माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं स्थगन से संबंधित अति आवश्यक कार्य ही किया जावेगा। शेष कार्यवाहियों जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मिलित है, दिनांक 14.04.2020 तक स्थगित रहेंगे।

तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाए गए नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों में उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

सिविल एवं आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियाँ

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	03.04.2020	22.04.2020
02	04.04.2020	04.05.2020
03	07.04.2020	05.05.2020
04	08.04.2020	06.05.2020
05	09.04.2020	08.05.2020
06	13.04.2020	09.05.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल पर तथा दूसरी जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जाये।



आज्ञा से

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर

न्यायालय : श्रीमति संगीता डावर मौर्य, व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग 1 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर म0प्र0

आम सूचना

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी/इंस्ट्रक्शन पृष्ठांकन क्रमांक बी/1974/11:15-7/2020, जबलपुर दिनांकित 16-03-2020 एवं एडवायजरी क्रमांक 345/आरजी/2020 दिनांक 17-03-2020 तथा शासन एवं प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिए गये हैं ।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी एवं स्थगन से सम्बन्धित अति आवश्यक कार्य ही किया जावेगा । शेष कार्यवाहियां, जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मिलित है, दिनांक 14-04-2020 तक स्थगित रहेंगे ।

तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाए गए नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जाएंगे ।

सिविल एवं आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियां

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	01-04-2020	15-04-2020
02	02-04-2020 रामनवमी अवकाश	—
03	03-04-2020	15-04-2020
04	04-04-2020	15-04-2020
05	05-04-2020 रविवार अवकाश	—
06	06-04-2020 महावीर जयंती अवकाश	—
07	07-04-2020	15-04-2020
08	08-04-2020	16-04-2020
09	09-04-2020	17-04-2020
10	10-04-2020 गुड फ्रायडे अवकाश	
11	11-04-2020	09-05-2020
12	12-04-2020 रविवार अवकाश	
13	13-04-2020 अवकाश	
14	14-04-2020 अम्बेडकर जयंती अवकाश	

तदनुसार समस्त अभिभाषकगण एवं पक्षकारगण को सूचित हो ।



(श्रीमती संगीता डावर मौर्य)
न्यायिक-दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
मण्डलेश्वर, प.नि.

न्यायालय:-शिवानी सैनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश-2 मण्डलेश्वर के न्यायालय
के द्वितीय अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मण्डलेश्वर प.नि.

-:: आवश्यक सूचना ::-

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन तथा समस्त भारत देश में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए **सर्वसाधारण तथा इस न्यायालय के प्रकरणों से संबंधित समस्त अभिभाषकगण** को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोके जाने हेतु सुरक्षात्मक दृष्टि से दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 14/04/2020 तक समस्त सिविल एवं आपराधिक मामलों से संबंधित सभी प्रकरणों में अग्रिम पेशी दिनांक निर्धारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः (अपरिहार्य स्थित जैसे रिमाण्ड जमानत शीघ्र सुनवाई तथा निषेधाज्ञा मामलों तथा अंडर ट्रायल अभियुक्तगण के मामलों को छोड़कर) सभी सिविल एवं आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 14/04/2020 तक के प्रकरण निम्नलिखित दिनांक के सामने लिखी नवीन अग्रिम दिनांक को सुनवाई पर लिये जायेंगे।

इस हेतु अभिभाषकगण अपने-अपने पक्षकारों को अपने स्तर पर अवगत कराने का कष्ट करें।

सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों हेतु आगामी नवीन पेशी दिनांक

स.क्र.	वर्तमान पेशी तारीख	आगामी पेशी तारीख
1	01.04.2020 से दिनांक 03.04.20 तक के समस्त प्रकरण	05.05.2020
2	07.04.2020	08.05.2020
3	08.04.2020	11.05.2020
4	09.04.2020	12.05.2020
5	11.04.2020	13.05.2020



B/0
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के
न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार
न्यायाधीश वर्ग-2, मण्डलेश्वर

न्यायालय :- सुश्री आयुषी शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के
प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मण्डलेश्वर पश्चिम निमाड, म.प्र.

क्रमांक / / 2020

मण्डलेश्वर, दिनांक 01.04.2020

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क्र. क्यू जबलपुर दिनांक 25.03.2020 के पालन में तथा भारत सरकार द्वारा लाकडाउन की अवधि दिनांक 14.04.2020 तक बढ़ायी जाने से समय-समय पर जारी किए गये निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में, पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं। तथा उक्त दिनाकों में नियत समस्त प्रकरणों में आगामी तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं स्थगन से संबंधित अतिआवश्यक कार्य ही किया जावेगा। शेष कार्यवाहियों जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मिलित है, दिनांक 14.04.2020 तक स्थगित रहेंगे।

तदनुसार इस न्यायालय के नीचे दर्शाए गए नियत दिनांको में नियत प्रकरणों में उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथोस्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

सिविल एवं आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियाँ

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	01.04.2020 से 07.04.2020	04.05.2020
02	08.04.2020	05.05.2020
03	09.04.2020	06.05.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल पर तथा दूसरी जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।


प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के
न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार
न्यायाधीश वर्ग-2, मण्डलेश्वर

**न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश, अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम,
पश्चिम निमाख, मण्डलेश्वर,**

सूचना पत्र

माननीय उच्च न्यायालय म. प्र. जबलपुर के पत्र क्रमांक 345/2020 दिनांक 17-03-2020 में प्रसारित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण संपूर्ण देश में दिनांक 14.04.2020 तक नियत लॉक डाउन को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय में लंबित समस्त दिवानी एवं आपराधिक प्रकरण निम्न सारणी अनुसार आगामी नियत दिनाकों को सुनवाई में लिये जावेंगे:-

अन. क्र.	पेशी दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1.	01.04.2020	04.05.2020
2.	02.04.2020 रामनवमी अवकाश	
3.	03.04.2020	05.05.2020
4.	04.04.2020	06.05.2020
5.	07.04.2020	08.05.2020
6.	08.04.2020	11.05.2020
7.	09.04.2020	12.05.2020
8.	10.04.2020 गुड फ्रायडे अवकाश	
9.	11.04.2020	13.05.2020
10.	13.04.2020	14.05.2020
11.	14.04.2020 आम्बेडकर जयंती अवकाश	

नोट. इस न्यायालय में विचाराधीन संलग्न सूची अनुसार आपराधिक एवं दिवानी प्रकरण जो अंतिम तर्क, अभियुक्त कथन, बचाव साक्ष्य, आदेश एवं निर्णय की अवस्था के प्रकरण सूची (पेज क्रमांक 2) में दर्शायी गयी तिथियों पर सुनवाई में लिये जावेंगे ।

निरंतर पेज क्रमांक...2.....

11/4/2020

न्यायालय- विशेष न्यायाधीश, अजा/अजजा (अत्याचार निवारण)

अधिनियम, पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर

आपराधिक प्रकरण

अ0क्र0	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार का नाम	स्टेज	आगामी पेशी दिनांक	रिमार्क
1	आप.रिवी 25/20	प्रताप वि शासन	आदेश हेतु	16.04.2020	
2	वि.सत्र प्र 08/2015	शासन वि निलेश	निर्णय हेतु	21.04.2020	
3	वि.सत्र प्र 30/2011	शासन वि सौभागचंद	अंतिम तर्क	23.04.2020	
4	सत्र प्र 187/2011	शासन वि दयाराम	अंतिम तर्क	23.04.2020	
5	वि.सत्र प्र 06/2019	शासन वि राम	अंतिम तर्क	22.04.2020	
6	वि.सत्र प्र 82/2017	शासन वि शमशुददीन	बचाव साक्ष्य हेतु	22.04.2020	
7	वि.सत्र प्र 89/2017	शासन वि पिन्दू	अभियुक्त कथन हेतु	24.04.2020	
दिवानी प्रकरण					
1	क्लेम प्र 187/2017	संतोषी वि सन्नी	अंतिम तर्क	20.04.2020	
2	क्लेम प्र 145/2018	सुलोचना वि सन्नी	अंतिम तर्क	20.04.2020	
3	क्लेम प्र 80/2016	कविता वि योगेश	अंतिम तर्क	23.04.2020	
4	क्लेम प्र 89/2017	सोहन वि अ.हमीद	अंतिम तर्क	23.04.2020	

तदनुसार समस्त अभिभाषकगण एवं पक्षकारगण सूचित हो।

(साधना माहेबरी)

विशेष न्यायाधीश,

अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम

(1899) पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर

11/4/2020

प्रतिलिपि:-

रिस्टम आफिशर, ई. ए. ए. जिला न्यायालय, मण्डलेश्वर
की ओर आवश्यक अभिलेखित प्रेषण।

न्यायालय :- द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर
(म0प्र0)

// सूचना-पत्र //

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जलबपुर के द्वारा एडवायजरी/निर्देश दिनांक 17.03.02020 के अनुपालन में समस्त सम्माननीय अधिवक्तागण एवं संबंधित पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि दिनांक **01.04.2020** से **14.04.2020** तक **इस न्यायालय** में सुनवाई हेतु नियत समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में (अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरण जमानत आवेदन पत्र/निषेधाज्ञा संबंधित आवेदन पत्रों को छोड़कर) निम्नानुसार आगामी तिथि नियत की जाती है:-

क.	नियत पेशी दिनांक	आगामी नियत पेशी दिनांक
1.	01.04.2020	01.05.2020
2.	03.04.2020	02.05.2020
3.	04.04.2020	04.05.2020
4.	07.04.2020	05.05.2020
5.	08.04.2020	06.05.2020
6.	09.04.2020	08.08.2020
7.	11.04.2020	09.05.2020
8.	13.04.2020	11.05.2020



B/D (अरुण कुमार खरादी)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश,
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर (म.प्र.)

न्यायालय- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भीकनगॉव जिला मण्डलेश्वर मध्यप्रदेश

:: सामान्य सूचना ::

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा से जारी दिशा-निर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुये इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 14/04/2020 तक नियत प्रकरणों जमानत एवं अत्यंत जरूरी मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवायी नहीं होगी दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 14/04/2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती है।

नियत दिनांक (1)	सुनवायी हेतु नियत अगामी दिनांक (2)
01.04.2020	04.05.2020
03.04.2020	05.05.2020
04.04.2020	06.05.2020
07.04.2020	08.05.2020
08.04.2020	09.05.2020
09.04.2020	11.05.2020
11.04.2020	12.05.2020

आज्ञा से

(संजीव जैन)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भीकनगॉव जिला मण्डलेश्वर

न्यायालय- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भीकनगॉव जिला मण्डलेश्वर मध्यप्रदेश

:: सामान्य सूचना ::

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ज्ञापन क्रमांक 345/आर-ए/2020 जबलपुर, दिनांक 17/03/2020 से जारी दिशा-निर्देश के पालन में आज दिनांक 20-03-2020 तक नियत प्रकरणों के संदर्भ में सभी पक्षकार, साक्षियों एवं अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि जिस प्रक्रम पर प्रकरण आज नियत है, उसी प्रक्रम पर प्रकरण नीचे तालिका कॉलम नंबर 2 में वर्णित दिनांक को सुने जायेंगे।

नियत दिनांक (1)	सुनवायी हेतु नियत अगामी दिनांक (2)
20.03.2020	17.04.2020
21.03.2020	20.04.2020
23.03.2020	21.04.2020
24.03.2020	23.04.2020
26.03.2020	24.04.2020
27.03.2020	25.04.2020
28.03.2020	28.04.2020
30.03.2020	29.04.2020
31.03.2020	30.04.2020

(संजीव जैन)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भीकनगॉव जिला मण्डलेश्वर

**न्यायालय- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भीकनगोंव के न्यायालय के अतिरिक्त
न्यायाधीश जिला मण्डलेश्वर मध्यप्रदेश**

:: सामान्य सूचना ::

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा से जारी दिशा-निर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुये इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 14/04/2020 तक नियत प्रकरणों जमानत एवं अत्यंत जरूरी मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवायी नहीं होगी दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 14/04/2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती है।

नियत दिनांक (1)	सुनवायी हेतु नियत अगामी दिनांक (2)
01.04.2020	04.05.2020
03.04.2020	05.05.2020
04.04.2020	06.05.2020
07.04.2020	08.05.2020
08.04.2020	09.05.2020
09.04.2020	11.05.2020
11.04.2020	12.05.2020

आज्ञा से

(नंदराम परमार)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भीकनगोंव के न्यायालय के अतिरिक्त
न्यायाधीश जिला मण्डलेश्वर

न्यायालय- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भीकनगोंव के न्यायालय के अतिरिक्त
न्यायाधीश जिला मण्डलेश्वर मध्यप्रदेश

:: सामान्य सूचना ::

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा से जारी दिशा-निर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुये इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 14/04/2020 तक नियत प्रकरणों जमानत एवं अत्यंत जरूरी मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवायी नहीं होगी दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 14/04/2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती है।

नियत दिनांक (1)	सुनवायी हेतु नियत अगामी दिनांक (2)
01.04.2020	04.05.2020
03.04.2020	05.05.2020
04.04.2020	06.05.2020
07.04.2020	08.05.2020
08.04.2020	09.05.2020
09.04.2020	11.05.2020
11.04.2020	12.05.2020

आज्ञा से

(नंदराम परमार)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भीकनगोंव के न्यायालय के अतिरिक्त
न्यायाधीश जिला मण्डलेश्वर

न्यायालय- अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भीकनगॉंव पश्चिम निमाड़

:: सामान्य सूचना ::

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा से जारी दिशा-निर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुये इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 14/04/2020 तक नियत प्रकरणों जमानत एवं अत्यंत जरूरी मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवायी नहीं होगी दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 14/04/2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती है।

नियत दिनांक (1)	सुनवायी हेतु नियत अगामी दिनांक (2)
01.04.2020	04.05.2020
03.04.2020	05.05.2020
04.04.2020	06.05.2020
07.04.2020	08.05.2020
08.04.2020	09.05.2020
09.04.2020	11.05.2020
11.04.2020	12.05.2020

आज्ञा से

(ज्योत्सना आर्य)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
भीकनगॉंव पश्चिम निमाड़

न्यायालय- अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भीकनगॉव पश्चिम निमाड

:: सामान्य सूचना ::

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ज्ञापन क्रमांक 345/आर-ए/2020 जबलपुर, दिनांक 17/03/2020 से जारी दिशा-निर्देश के पालन में आज दिनांक 20-03-2020 तक नियत प्रकरणों के संदर्भ में सभी पक्षकार, साक्षियों एवं अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि जिस प्रक्रम पर प्रकरण आज नियत है, उसी प्रक्रम पर प्रकरण नीचे तालिका कॉलम नंबर 2 में वर्णित दिनांक को सुने जायेंगे।

नियत दिनांक (1)	सुनवायी हेतु नियत अगामी दिनांक (2)
20.03.2020	17.04.2020
21.03.2020	20.04.2020
23.03.2020	21.04.2020
24.03.2020	23.04.2020
26.03.2020	24.04.2020
27.03.2020	25.04.2020
28.03.2020	28.04.2020
30.03.2020	29.04.2020
31.03.2020	30.04.2020

(प्रयोत्सभा आर्य)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
भीकनगॉव पश्चिम निमाड

न्यायालय—हर्ष भदौरिया, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बडवाह जिला—
मण्डलेश्वर प० नि०

—:आवश्यक सूचना:—

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन तथा समस्त भारत देश में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए सर्वसाधारण तथा इस न्यायालय के प्रकरणों से संबंधित समस्त अभिभाषकगण को सूचित किया जाता है की कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु सुरक्षात्मक दृष्टि से दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 14/04/2020 तक समस्त आपराधिक मामलों से संबंधित सभी प्रकरणों में अग्रीम पेशी दिनांक निर्धारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः (अपरिहार्य स्थिति जैसे रिमाण्ड जमानत शीघ्र सुनवाई तथा अंडर ट्रायल अभियुक्तगण के मामलों को छोड़कर) सभी आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 14/04/2020 तक के आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक के सामने लिखी नवीन अग्रीम दिनांक को सुनवाई पर लिये जायेंगे।

इस हेतु अभिभाषकगण अपने अपने पक्षकारों को अपने स्तर पर अवगत कराने का कष्ट करें।

क्रमांक	पेशी दिनांक	आगामी पेशी दिनांक
1	03.04.2020	20.04.2020
2	04.04.2020	21.04.2020
3	07.04.2020	22.04.2020
4	08.04.2020	23.04.2020
5	09.04.2020	24.04.2020
6	11.04.2020	09.05.2020 लोक अदालत
7	13.04.2020	27.04.2020

(हर्ष भदौरिया)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बडवाह

—: सूचना :—

कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम हेतु माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा जारी एडवायजरी के आलोक में निषाधाज्ञा/स्टे/जमानत संबंधी अर्जेंट मामलों को छोड़कर शेष समस्त मामलों को 31 मार्च, 2020 तक के लिए स्थगित किया गया है। अतः इस न्यायालय में 31 मार्च, 2020 तक लंबित विभिन्न तिथियों के प्रकरण उन तिथियों के आगे निम्नलिखित चार्ट में दर्शित तिथि को उसी प्रक्रम पर लिए जावेंगे।

—: चार्ट ::—

क्रमांक	पेशी दिनांक	आगामी पेशी दिनांक
1	19.03.2020	04.04.2020
2	20.03.2020	07.04.2020
3	23.03.2020	08.04.2020
4	24.03.2020	09.04.2020
5	26.03.2020	13.04.2020
6	27.03.2020	15.04.2020
7	28.03.2020	16.04.2020
8	30.03.2020	17.04.2020
9	31.03.2020	20.04.2020
21/03/20		03/04/20

(हैमिन्दिरिया)
विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से
बाधकों का संरक्षण अधिनियम 2012,
जिला-भारतेश्वर (म.प्र.)

न्यायालय-प्रवीण शिवहरे, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बडवाह जिला-
मण्डलेश्वर प0 नि0

-:आवश्यक सूचना:-

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन तथा समस्त भारत देश में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए सर्वसाधारण तथा इस न्यायालय के प्रकरणों से संबंधित समस्त अभिभाषकगण को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोके जाने हेतु सुरक्षात्मक दृष्टि से दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 14/04/2020 तक समस्त सिविल एवं आपराधिक मामलों से संबंधित सभी प्रकरणों में अग्रिम पेशी दिनांक निर्धारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः (अपरिहार्य स्थिति जैसे रिमाण्ड जमानत शीघ्र सुनवाई तथा निषेधाज्ञा मामले तथा अंडर ट्रायल अभियुक्तगण के मामले को छोड़कर) सभी सिविल एवं आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 14/04/2020 तक के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक के सामने लिखी नवीन अग्रिम दिनांक को सुनवाई पर लिये जायेंगे।

इस हेतु अभिभाषकगण अपने अपने पक्षकारों को अपने स्तर पर अवगत कराने का कष्ट करें।

सिविल एवं आपराधिक दोनों प्रकरणों हेतु अग्रिम नवीन दिनांक		
क्रमांक	पेशी दिनांक	आगामी पेशी दिनांक
1	01.04.2020 से 04.04.2020 तक के समस्त प्रकरण	04.05.2020
2	07.04.2020	05.05.2020
3	05.04.2020	06.05.2020
4	09.04.2020	11.05.2020
5	11.04.2020	09.05.2020 लोक अदालत
6	13.04.2020	12.05.2020

(प्रवीण शिवहरे)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
बडवाह

सुधीर सिंह निगवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
बडवाह, पश्चिम निमाड़ (म.प्र.)

—:आम सूचना:—

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के एडवायजरी/इंस्ट्रक्शन क्रमांक-345/आर.ए./2020 जबलपुर दिनांकित-17.03.2020 के चरण क्रमांक-1 में यह निर्देशित किया गया है कि, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समस्त न्यायालय द्वारा दिनांक 31/03/2020 तक केवल जमानत संबंधी मामले, स्टे/इन्जंक्शन के मामले जिनमें त्वरित सुनवायी वांछित है, में सुनवायी की जाएगी। अन्य समस्त लंबित मामले जिनमें अंतिम तर्क एवं ऐसे प्रकरण जिनमें माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरणों के निराकरण हेतु समयावधि तय की गई है, भी शामिल रहेंगे, को दिनांक 31/03/2020 के बाद ही सुनवायी में लिया जाएगा। अतः इस न्यायालय में 31/03/2020 तक लंबित विभिन्न तिथियों के प्रकरण उन तिथियों के आगे निम्नलिखित चार्ट में दर्शित तिथि को उसी प्रक्रम पर लिए जावेंगे।

क्रमांक	पेशी दिनांक	आगामी पेशी दिनांक
01	19/03/2020	03/04/2020
02	20/03/2020	17/04/2020
03	21/03/2020 एवं 30/03/2020	18/04/2020
04	23/03/2020	23/04/2020
05	24/03/2020	27/04/2020
06	26/03/2020	28/04/2020
07	27/03/2020	29/04/2020



(सुधीर सिंह निगवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
बडवाह, पश्चिम निमाड़ (म.प्र.)

न्यायालय-सुधीरसिंह निगवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं व्यवहार
न्यायाधीश वर्ग-1, बडवाह जिला- मण्डलेश्वर प0 नि0

-:आवश्यक सूचना:-

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन तथा समस्त भारत देश में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए सर्वसाधारण तथा इस न्यायालय के प्रकरणों से संबंधित समस्त अभिभाषकगण को सूचित किया जाता है की कोरोना वायरस के संक्रमण को रोके जाने हेतु सुरक्षात्मक दृष्टि से दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 14/04/2020 तक समस्त सिविल एवं आपराधिक मामलों से संबंधित सभी प्रकरणों में अग्रिम पेशी दिनांक निर्धारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः (अपरिहार्य स्थिति जैसे रिमाण्ड जमानत शीघ्र सुनवाई तथा निषेधाज्ञा मामलों तथा अंडर ट्रायल अभियुक्तगण के मामलों को छोड़कर) सभी सिविल एवं आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 14/04/2020 तक के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक के सामने लिखी नवीन अग्रिम दिनांक को सुनवाई पर लिये जायेंगे।

इस हेतु अभिभाषकगण अपने अपने पक्षकारों को अपने स्तर पर अवगत कराने का कष्ट करें।

सिविल एवं आपराधिक दोनों प्रकरणों हेतु अग्रिम नवीन दिनांक		
क्रमांक	पेशी दिनांक	आगामी पेशी दिनांक
1	01.04.2020 से 07.04.2020 तक के समस्त प्रकरण	04.05.2020
2	08.04.2020	05.05.2020
3	09.04.2020	06.05.2020
4	10.04.2020	08.05.2020
5	11.04.2020	09.05.2020 लोक अदालत



(सुधीर सिंह निगवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बडवाह (मंडला)

(जितेन्द्र सिंह परमार)
प्राथमिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

न्यायालय:-जितेन्द्रसिंह परमार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02, बड़वाह,
जिला-मण्डलेश्वर, (म0प्र0)

-: आवश्यक सूचना :-

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एडवाइजरी/निर्देश के अनुपालन तथा समस्त भारत देश में लाकडाउन की स्थिति को देखते हुए सर्वसाधारण तथा इस न्यायालय के प्रकरणों से संबंधित समस्त अभिभाषकगण को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने हेतु सुरक्षात्मक दृष्टि से दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक समस्त सिविल एवं आपराधिक मामलों से संबंधित सभी प्रकरणों में अग्रिम पेशी दिनांक निर्धारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है (अपरिहार्य स्थिति जैसे रिमाण्ड, जमानत, शीघ्र तथा निषेधाज्ञा मामलों तथा अप्पेंडेटायल अभियुक्तगण के मामलों को छोड़कर) सभी सिविल एवं आपराधिक मामलों में दिनांक 01.04.2020 तक के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक को उनके सामने लिखी नवीन अग्रिम दिनांक को सुनवाई लिये जावेगें।

इस हेतु अभिभाषकगण अपने अपने पक्षकारों को अपने स्तर पर अवगत कराने का कष्ट करें।

सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों हेतु अग्रिम नवीन दिनांक

01	03-04-2020	04-05-2020
02	07-04-2020	05-05-2020
03	08-04-2020	06-05-2020
04	09-04-2020	08-05-2020
05	11-04-2020	09-05-2020(लोक अदालत)
06	13-04-2020	12-05-2020



(जितेन्द्र सिंह परमार)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02
(जितेन्द्र सिंह परमार)
प्राथमिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बड़वाह (स.प्र.)

**न्यायालय:- जितेन्द्रसिंह परमार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वाह (प.नि.)**

// आम सूचना //

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के मेमो नं. 345/रजिस्ट्री/2020, जबलपुर, दिनांक 17.03.2020 में कोरोना वायरस कोविड-19 में दिये गये निर्देश के सरल क्र. 01 के अनुसार समस्त अधीनस्थ न्यायालय जो मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, उन्हें केवल जमानत संबंधी मामले और स्टे/इंजक्शन मेटर जो त्वरित प्रकृति के है, दिनांक 31.03.2020 तक जिनमें कि अंतिम तर्क के मामले शामिल है, को स्थगित किये गये और उन्हें दिनांक 31.03.2020 के बाद ही सुनवाई में लिये जाने के दिशा निर्देश जारी किये गये है।

अतः इस न्यायालय में दिनांक 31.03.2020 तक लंबित सिविल एवं आपराधिक शाखा के प्रकरण जो कॉलम क्र. 02 में उल्लेखित है। उन्हें कॉलम क्र. 03 में उल्लेखित तिथियों को उसी प्रक्रम पर लिये जावेंगे।

स.क्र.	पेशी तारीख	नियत पेशी तारीख
(1)	(2)	(3)
1-	19-03-2020	04-04-2020
2-	20-03-2020	11-04-2020
3-	21-03-2020	11-04-2020
4-	23-03-2020	18-04-2020
5-	24-03-2020	25-04-2020
6-	26-03-2020	27-04-2020
7-	27-03-2020	29-04-2020
8-	28-03-2020	04-05-2020
9-	30-03-2020 & 31-03-2020	05-05-2020

(जितेन्द्रसिंह परमार)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वाह

**न्यायालय:- महेन्द्र सैनी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सनावद**

// आम सूचना //

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा एडवाइजरी/निर्देश क्रमांक 345/आरजी/2020 जबलपुर दिनांक 17.03.2020 दिनांक 20.03.2020 तथा दिनांक 25.03.2020 को एडवाइजरी जारी कर जमानत मामलों व शीघ्र एवं निषेधाज्ञा मामलों को तथा आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों को छोड़कर शेष सभी मामलों में एडवांस में ही तिथियां नियत किये जाने बाबद निर्देशित किया गया है तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मण्डलेश्वर के आदेश क्रमांक 153/लेखा/2020 मण्डलेश्वर दिनांक 25.03.2020 के पालन में दिनांक 01.04.2020 से 14.04.2020 तक नियत सभी प्रकरणों (जमानत मामलों, शीघ्र तथा निषेधाज्ञा मामलों, अंडर ट्रायल अभियुक्तगण के प्रकरणों को छोड़कर) में कोई न्यायालयीन कार्यवाही न की जाकर प्रकरण पूर्ववत् निम्नानुसार आगामी पेशियों पर नियत किये जाते हैं ।

सरल क्रमांक	पेशी तारीख	नियत पेशी तारीख
1	01.04.2020	08.05.2020
2	03.04.2020	11.05.2020
3	04.04.2020	12.05.2020
4	07.04.2020	13.05.2020
5	08.04.2020	14.05.2020
6	09.04.2020	15.05.2020
7	11.04.2020	09.05.2020 लोक अदालत
8	13.04.2020	15.05.2020

अतः उक्त आदेश पालन में सभी अभिभाषकगण से अपेक्षा है कि वे उनके पक्षकारों को उक्तानुसार नियत पेशियों की सूचना देकर न्यायालय में उपस्थित न होने के संबंध अवगत करावे ताकि भारत में फैल रही कोरोना वायरस की बीमारी को खत्म करने में सभी नागरिक अपना अपना सहयोग दे सकें ।


(महेन्द्र सैनी)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग-2 एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

न्यायालय-चारुलता दांगी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद जिला मण्डलेश्वर (म0प्र0)

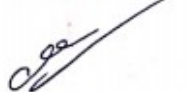
-आवश्यक सूचना-

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एडवाईजरी/निर्देश के अनुपालन तथा समस्त भारत देश में लाकडाउन की स्थिति को देखते हुए सर्वसाधारण तथा इस न्यायालय के प्रकरणों से संबंधित समस्त अभिभाषकगण को सुचित किया जाता है कि कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण को रोके जाने हेतु सुरक्षात्मक दृष्टि से दिनांक 01.04.2020 से 14.04.2020 तक समस्त सिविल एवं आपराधिक मामलों से संबंधित सभी प्रकरणों में अग्रिम पेशी दिनांक निर्धारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः (अपरिहार्य स्थिति जैसे रिमाण्ड, जमानत, शीघ्र तथा निषेधाज्ञा मामलों, तथा अंडर ट्रायल अभियुक्तगण के मामलों को छोड़कर) सभी सिविल एवं आपराधिक मामलों में दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक के सामने लिखी नवीन अग्रिम दिनांक को सुनवाई पर लिये जायेंगे।

इस हेतु अभिभाषकगण अपने अपने पक्षकारों को अपने स्तर पर अवगत कराने का कष्ट करें।

सिविल एवं आपराधिक दोनों प्रकरणों हेतु अग्रिम नवीन दिनांक		
1	01.04.2020 तथा 11.04.2020	09.05.2020
2	03.04.2020 तथा 04.04.2020	04.05.2020
3	07.04.2020	11.05.2020
4	08.04.2020	13.05.2020
5	09.05.2020	15.05.2020


चारुलता दांगी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद जिला मण्डलेश्वर (म0प्र0)

**न्यायालय:- संतोष सैनी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी, पश्चिम निमाड कसरावद, जिला मंडलेश्वर**

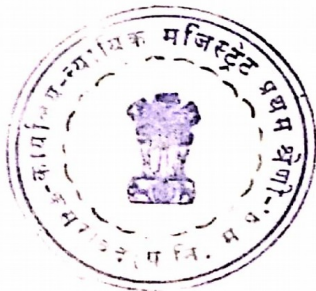
जावक क.  /आप./20

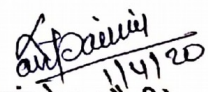
कसरावद, दिनांक 01.04.2020

::सामान्य सुचना::

कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए, माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा ज्ञापन क्र. 345/आर-ए/2020 जबलपुर दिनांक 19.03.2020 एवं 20.03.2020 एवं माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के सकुलर क्रमांक क्यू-5 दिनांक 25.03.2020 में जारी दिशा-निर्देश के पालन में आज दिनांक 01/04/2020 से 14/04/2020 तक नियत प्रकरणों के संदर्भ में सभी पक्षकारगण साक्षियों एवं अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि जिस प्रक्रम पर प्रकरण आज नियत है, उसी प्रक्रम पर प्रकरण नीचे तालिका कॉलम नम्बर 02 एवं 03 में वर्णित दिनांक को उसी स्टेज पर सुनवाई में लिया जावेगा।

पूर्व में नियत दिनांक	सुनवाई हेतु नियत आगामी दिनांक दिवानी प्रकरण	सुनवाई हेतु नियत आगामी दिनांक आपराधिक प्रकरण
03/04/2020	20/04/2020	23/04/2020
04/04/2020	21/04/2020	24/04/2020
07/04/2020	22/04/2020	25/04/2020
08/04/2020	23/04/2020	27/04/2020
09/04/2020	24/04/2020	28/04/2020
11/04/2020	25/04/2020	09/05/2020




(संतोष सैनी),
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
प.नि. कसरावद

**न्यायालय:- अजयसिंह यादव, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी, पश्चिम निमाड कसरावद, जिला मंडलेश्वर**

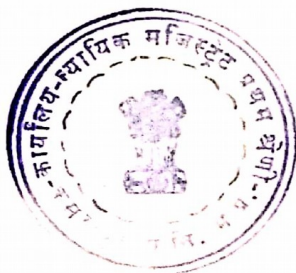
जावक क. 12 /आप./20

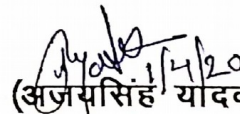
कसरावद, दिनांक 01.04.2020

::सामान्य सूचना::

कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए, माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा ज्ञापन क्र. 345/आर-ए/2020 जबलपुर दिनांक 19.03.2020 एवं 20.03.2020 एवं माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के सकुलर क्रमांक क्यू-5 दिनांक 25.03.2020 में जारी दिशा-निर्देश के पालन में आज दिनांक 01/04/2020 से 14/04/2020 तक नियत प्रकरणों के संदर्भ में सभी पक्षकारगण साक्षियों एवं अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि जिस प्रक्रम पर प्रकरण आज नियत है, उसी प्रक्रम पर प्रकरण नीचे तालिका कॉलम नम्बर 02 एवं 03 में वर्णित दिनांक को उसी स्टेज पर सुनवाई में लिया जावेगा।

पूर्व में नियत दिनांक	सुनवाई हेतु नियत आगामी दिनांक दिवानी प्रकरण	सुनवाई हेतु नियत आगामी दिनांक आपराधिक प्रकरण
01/04/2020	27/04/2020	01/05/2020
03/04/2020	28/04/2020	04/05/2020
04/04/2020	29/04/2020	05/05/2020
07/04/2020	30/04/2020	06/05/2020
08/04/2020	01/05/2020	08/05/2020
09/04/2020	02/05/2020	11/05/2020
11/04/2020	04/05/2020	09/05/2020




(अजयसिंह यादव),
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
प. नि. कसरावद

न्यायालय:-चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खरगोन म0प्र0

आम सूचना

समस्त पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण को इस आम सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि देश में कोरोना वायरस के तेजी से हो रहे फैलाव को देखते हुये माननीय म प्र उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए, इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक नियत प्रकरणों में जमानत एवं अत्यंत जरूरी मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। दिनांक 01.04.2020 से दि0 14.04.2020 तक पूर्व से नियत इस न्यायालय के प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती है।

अनु.क्र0	नियत तिथि	आगामी तिथि	रिमार्क
1	01.04.20	04.05.20	
2	03.04.20	05.05.20	
3	04.04.20	06.05.20	
4	07.04.20	08.05.20	
5	08.04.20	09.05.20	
6	09.04.20	11.05.20	
7	11.04.20	12.05.20	



आज्ञा से

(सुभाष च. शर्मा)
चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश
प नि. खरगोन (म.प्र.)

न्यायालय:-द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खरगोन म0प्र0

आम सूचना

समस्त पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण को इस आम सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि देश में कोरोना वायरस के तेजी से हो रहे फैलाव को देखते हुये माननीय म प्र उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए, इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक नियत प्रकरणों में जमानत एवं अत्यंत जरूरी मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। दिनांक 01.04.2020 से दि0 14.04.2020 तक पूर्व से नियत इस न्यायालय के प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती है।

अनु.क्र0	नियत तिथि	आगामी तिथि	रिमार्क
1	01.04.20	17.04.20	
2	03.04.20	23.04.20	
3	04.04.20	24.04.20	
4	07.04.20	25.04.20	
5	08.04.20	27.04.20	
6	09.04.20	28.04.20	

आज्ञा से


(श्रीमती गीता सोलंकी)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
खरगोन

न्यायालय— (सैफी दाऊदी) प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
खरगोन प0नि0(म0प्र0)

// आम सूचना //

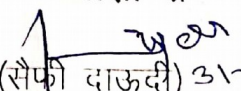
समस्त पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण को इस आम सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि देश में कोरोना वायरस के तेजी से हो रहे फैलाव को देखते हुए माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा क्र 345/आर.जी. 2020 दिनांक 17.03.2020 द्वारा जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में प्रकरणों की सूनवाई के संबंध में जारी एडवाईजरी के अनुक्रम में प्रकरण के पक्षकारों, अधिवक्ताओं, साक्षियों एवं हितबद्ध व्यक्तियों की सूचनार्थ निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं।

इस न्यायालय में दिनांक 01.04.2020 से 14.04.2020 तक नियत प्रकरणों में जमानत एवं अत्यंत जरूरी मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। दिनांक 01.04.2020 से 14.04.2020 तक के पूर्व से नियत इस न्यायालय के प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियां नियत की जाती हैं:-

क्र.	नियत तिथि	आगामी तिथि	रिमार्क
1	01.04.2020	21.04.2020	
2	03.04.2020	22.04.2020	
3	04.04.2020	23.04.2020	
4	07.04.2020	24.04.2020	
5	08.04.2020	25.04.2020	
6	09.04.2020	27.04.2020	
7	11.04.2020	28.04.2020	
8	13.04.2020	29.04.2020	

नोट:- जो प्रकरण पूर्व से निर्णय हेतु नियत है वह यथावत रहेंगे।

आज्ञा से


(सैफी दाऊदी) 31-03-2020

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
खरगोन प0नि0
सैफी दाऊदी
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
खरगोन (म.प्र.)



न्यायालय- तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश खरगोन ५०नि०(म०प्र०)

// आम सूचना //

समस्त पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण को इस आम सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि देश में कोरोना वायरस के तेजी से हो रहे फैलाव को देखते हुए माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा क ३४५/आर.जी. २०२० दिनांक १७.०३.२०२० द्वारा जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में जारी एडवाइजरी के अनुक्रम में प्रकरण के पक्षकारों, अधिवक्ताओं, साक्षियों एवं हितबद्ध व्यक्तियों की सूचनार्थ निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं।

इस न्यायालय में दिनांक ०१.०४.२०२० से १४.०४.२०२० तक नियत प्रकरणों में जमानत एवं अत्यंत जरूरी मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। दिनांक ०१.०४.२०२० से १४.०४.२०२० तक के पूर्व से नियत इस न्यायालय के प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियां नियत की जाती हैं:-

क्र.	नियत तिथि	आगामी तिथि	रिमाक
१	०१.०४.२०२०	०५.०५.२०२०	
२	०३.०४.२०२०	०६.०५.२०२०	
३	०४.०४.२०२०	०८.०५.२०२०	
४	०७.०४.२०२०	११.०५.२०२०	
५	०८.०४.२०२०	१२.०५.२०२०	
६	०९.०४.२०२०	१३.०५.२०२०	
७	११.०४.२०२०	१४.०५.२०२०	
८	१३.०४.२०२०	१५.०५.२०२०	

नोट:- जो प्रकरण पूर्व से निर्णय हेतु नियत है वह यथावत रहेंगे।

आज्ञा से
(डी.एस. मण्डलोई)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(डी.एस. मण्डलोई)
खरगोन ५०नि०
तृतीय अपर जिला न्यायाधीश
प.नि., खरगोन (म.प्र.)

न्यायालय:- अभिषेक कुमार त्रिपाठी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,

आम सूचना

देश में कोरोना वायरस (Noble Covid 19) की तेजी से हो रहे फैलाव को देखते हुए माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा क्रमांक-345/आरजी/2020 दिनांक-17/03/2020 द्वारा जिला न्यायालयों एवं तहसील न्यायालय में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में जारी एडवाइजरी के अनुक्रम में प्रकरण के पक्षकारों अधिवक्ताओं साक्षियों एवं हितबद्ध व्यक्तियों की सूचनार्थ निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं।

न्यायालय में दिनांक-18/03/20 से 31/03/2020 तक नियत मामलों में जमानत एवं अर्जेंट मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। दिनांक-18/03/2020 से 31/03/2020 तक पूर्व से नियत न्यायालय के समस्त मामलों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती हैं:-

अनु.कं.	नियत दिनांक	आगामी नियत दि.	रिमार्क
1	01/04/2020	22/04/2020	
2	03/04/2020	23/04/2020	
3	04/04/2020	24/04/2020	
4	07/04/2020	25/04/2020	
5	08/04/2020	27/04/2020	
6	09/04/2020	28/04/2020	
7	11/04/2020	29/04/2020	
8	13/04/2020	30/04/2020	

(अभिषेक कुमार त्रिपाठी) 31.3.2020
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खरगोन जिला मण्डलेश्वर म.प्र.
(अभिषेक कुमार त्रिपाठी)
द्वितीय सिविल न्यायाधीश वर्ग-2
खरगोन

न्यायालय:- प्रियंका चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खरगोन पश्चिम निमाड म0प्र0

-:आम सूचना:-

देश में कोराना वायरस (Noble Covid-19) के तेजी से हो रहे फैलाव को देखते हुए माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा क. 345/आर0जी0/2020 दिनांक 17.03.2020 द्वारा जिला न्यायालयों एवं तहसील न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में जारी एडवाइजरी के अनुक्रम में (लॉकडाउन दिनांक 24.03.20 से 14.04.2020 तक होने से) प्रकरण के पक्षकारों, अधिवक्तों, साक्षियों एवं हितबद्ध व्यक्तियों की सूचनार्थ निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं-

1- इस न्यायालय के समस्त लंबित प्रकरण दिनांक 03.04.2020 से दिनांक 13.04.2020 तक नियत मामलों में जमानत एवं अर्जेंट मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। साथ ही पूर्व नियत तिथि की निरंतरता में आगामी तिथि 03.04.2020 से दिनांक 13.04.2020 तक निम्नानुसार जनरल तिथियां नियत की गई हैं।

स0क0	नियत तिथि	आगामी तिथि	रिमार्क
1.	03.04.2020	29.04.2020	
2.	04.04.2020	30.04.2020	
3.	07.04.2020	02.05.2020	
4.	08.04.2020	04.05.2020	
5.	09.04.2020	05.05.2020	
6.	11.04.2020	06.05.2020	
7.	13.04.2020	08.05.2020	

2- सभी पक्षकारों, अधिवक्ताओं, साक्षियों और संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय में अत्यंत अर्जेंट स्थिति होने पर ही प्रवेश करे अन्यथा नहीं। बंदी अभियुक्तों की उपस्थिति आवश्यकता अनुसार सिर्फ विडियोकान्फेसिंग से की जायेगी।

3- अनावश्यक व्यक्तियों की न्यायालय परिसर में एंट्री निषेधित की जाती है।

4- लंबित प्रकरणों में अंतिम तर्क एवं आरोपी परीक्षण के प्रकरणों की सुनवाई आगामी तिथियों दिनांक 15.04.2020 से दिनांक 28.04.2020 के मध्य की जा सकेगी।

न्यायालयीय प्रक्रिया में हितबद्ध सभी व्यक्तियों से कोरोना वायरस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए उपरोक्तानुसार व्यवस्था में सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है।

दिनांक 31.03.2020

(प्रियंका चौहान)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
जिला खरगोन म.प्र.

आग सूचना

देश में कोरोना वायरस (Noble Covid-19) के तेजी से हो रहे फैलाव को देखते हुए माननीय मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा क-345/आर.जी./2020, दिनांक 17.03.2020 द्वारा जिला न्यायालयों एवं तहसील न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में जारी एडवाइजरी के अनुक्रम में प्रकरण के पक्षकारों, अधिवक्ताओं, साक्षीयों एवं हितबद्ध व्यक्तियों की सूचनार्थ निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1- इस न्यायालय में दिनांक 01.04.2020 से 13.04.2020 तक मामलों में जमानत एवं अर्जेंट मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। दिनांक 01.04.2020 से 13.04.2020 तक पूर्व से नियत इस न्यायालय के मामलों में निम्नानुसार जनरल तिथियाँ नियत की गई हैं :-

स.क.	नियत तिथि	आगामी तिथि	अपडेट ट्रायल प्रकरण की नियत तिथि
1	01.04.2020	04.05.2020	15.04.2020
2	03.04.2020	05.05.2020	17.04.2020
3	04.04.2020	06.05.2020	17.04.2020
4	07.04.2020	08.05.2020	21.04.2020
5	08.04.2020	09.05.2020	22.04.2020
6	09.04.2020	11.05.2020	23.04.2020
7	11.04.2020	12.05.2020	25.04.2020
8	13.04.2020	13.05.2020 18.05.2020	27.04.2020 18.05.2020

2- सभी पक्षकारों, अधिवक्ताओं, साक्षीयों और संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे न्यायालय परिसर एवं न्यायालयों में अत्यंत अर्जेंट स्थिति होने पर ही प्रवेश करें अन्यथा नहीं। बंदी अभियुक्तों की उपस्थिति आवश्यकतानुसार सिर्फ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जाएगी।

न्यायालयीन प्रक्रिया में हितबद्ध सभी व्यक्तियों से कोरोना वायरस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिये उपरोक्तानुसार व्यवस्था में सहयोग देने की अपेक्षा की जाती है।

आदेशानुसार


आशीष दवन्डे
मुख्य न्यायिक अधिकारी
खरगोन

सूचना पत्र

देश में कोरोना वायरस के तज़ी से फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालयों में दिनांक 31/3/20 से 14/4/2020 तक नियत **आपराधिक मामलों** में अर्जेंट प्रकृति के मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। उक्त अवधि में लंबित मामलों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की गईं -

क	नियत पेशी दिनांक	आगामी नियत दिनांक	अंतिम तर्क वाले प्रकरणों में नियत दिनांक	रिमांक
1	01/4/20	30/4/20	23/4/20	
2	04/4/20	02/5/20	25/4/20	
3	08/4/20	04/5/20	27/4/20	
4	09/4/20	06/5/20	29/4/20	
5	11/4/20	09/5/20	30/4/20	

सूचना पत्र

देश में कोरोना वायरस के तज़ी से फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालयों में दिनांक 31/3/20 से 14/4/2020 तक नियत **सिविल मामलों** में अर्जेंट प्रकृति के मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। उक्त अवधि में लंबित मामलों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की गईं -

क	नियत पेशी दिनांक	आगामी नियत दिनांक	अंतिम तर्क वाले प्रकरणों में नियत दिनांक	रिमांक
1	01/4/20	15/4/20		
2	04/4/20	16/4/20		
3	08/4/20	18/4/20		
4	09/4/20	20/4/20		
5	11/4/20	22/4/20		

सूचना पत्र

देश में कोरोना वायरस के तज़ी से फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार किशन न्यायालय में दिनांक 31/3/20 से 14/4/2020 तक नियत **आपराधिक मामलों** में अर्जेंट प्रकृति के मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। उक्त अवधि में लंबित मामलों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की गईं -

क	नियत पेशी दिनांक	आगामी नियत दिनांक	न्यायिक निराकरण प्रकरणों में नियत दिनांक	रिमांक
1	03/4/20	01/5/20	17/4/20	
2	07/4/20	05/5/20	21/4/20	

(*Signature*)
[Signature]
[Date]

न्यायालय:- पियूष भावे, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, महेश्वर, पश्चिम निमाड

-: आवश्यक सूचना :-

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय में लंबित दिनांक 01.04.2020 से 14.04.2020 के प्रकरणों को निम्नानुसार तालिका में दर्शाये अनुसार आगामी पेशी तारीख नियत की जाती है :-

सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की अग्रिम नवीन तारीख

क	पेशी तारीख	आगामी पेशी तारीख
1	1.4.2020 व 3.4.2020	4.5.2020
2	4.4.2020	5.5.2020
3	7.4.2020	6.5.2020
4	8.4.2020	8.5.2020
5	9.4.2020	12.5.2020
6	11.4.2020	11.5.2020

(पियूष भावे) 1.4.2020
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
न्यायालय प0नि0 महेश्वर (म0प्र0)



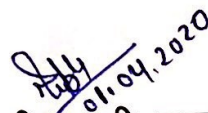
न्यायालय:- सुश्री मयूरी गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, महेश्वर, पश्चिम निमाड

-: आवश्यक सूचना :-

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय में लंबित दिनांक 01.04.2020 से 14.04.2020 के प्रकरणों को निम्नानुसार तालिका में दर्शाये अनुसार आगामी पेशी तारीख नियत की जाती है :-

सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की अग्रिम नवीन तारीख

क	पेशी तारीख	सिविल आगामी पेशी तारीख	किमिनल आगामी पेशी तारीख
1	3.4.2020	18.4.2020	18.4.2020
2	4.4.2020	20.4.2020	20.4.2020
3	7.4.2020	21.4.2020	27.4.2020
4	8.4.2020	4.5.2020	4.5.2020
5	9.4.2020	5.5.2020	5.5.2020
6	11.4.2020	6.5.2020	6.5.2020


(सुश्री मयूरी गुप्ता)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
न्यायालय प0नि0 महेश्वर (म0प्र0)

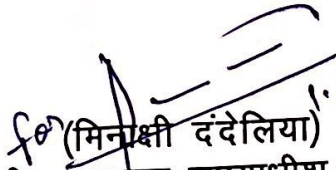
न्यायालय:- मिनाक्षी दंदेलिया, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, महेश्वर, पश्चिम निमाड

-: आवश्यक सूचना :-

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय में लंबित दिनांक 01.04.2020 से 14.04.2020 के प्रकरणों को निम्नानुसार तालिका में दर्शाये अनुसार आगामी पेशी तारीख नियत की जाती है :-

सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की अग्रिम नवीन तारीख

क	पेशी तारीख	आगामी पेशी तारीख
1	3.4.2020	22.4.2020
2	7.4.2020	23.4.2020
3	8.4.2020	24.4.2020
4	9.4.2020	25.4.2020
5	11.4.2020	27.4.2020
6	13.4.2020	28.4.2020


(मिनाक्षी दंदेलिया)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
न्यायालय पोनि0 महेश्वर (म0प्र0)
1.4.2020

